**महत्वपूर्ण**

**पत्र सं0-7/2026/बी-1-1022/दस-2026**

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
वित्त एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 10 अप्रैल, 2026

विषयः SNA-SPARSH का वित्तीय वर्ष 2026-27 में क्रियान्वयन।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-19/2025/बी-1-1622/दस-2025 दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके प्रस्तर 3(3) में यह उल्लिखित है कि वर्तमान SNA-SPARSH मॉडयूल में "निहित कठिनाइयों के दृष्टिगत यह निर्णय किया गया है कि SNA-SPARSH मॉडयूल को संशोधित करते हुए इम्प्लीमेंटिग एजेन्सीज द्वारा सृजित बिल जनपद स्तरीय एडमिन के माध्यम से जनपदीय कोषागारों को अग्रेषित किये जायेंगे जिन्हे जनपदीय कोषागारों द्वारा साईबर ट्रेजरी को अग्रेषित किया जायेगा। बिलों का समेकन साईबर ट्रेजरी स्तर पर किया जायेगा"।

2- आप अवगत है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, विभागों द्वारा कोषागारों में प्रस्तुत बिलों जिन्हें कोषागारों द्वारा पारित कर दिया जाता है, में से कुछ बिलों की धनराशियाँ कतिपय तकनीकी कारणों से लाभार्थियों के खातों में क्रेडिट नही हो पाती। यह स्थिति SNA-SPARSH के माध्यम से प्रस्तुत एवं साईबर ट्रेजरी द्वारा पारित बिलों के संबंध में भी हो सकती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कतिपय विभागों द्वारा प्रस्तुत बिल जो साईबर ट्रेजरी द्वारा पारित कर दिये गये थे, परन्तु उनमे से कुछ बिलों की धनराशियाँ लाभार्थियों के खातों में क्रेडिट नही हो सकी। शासनादेश संख्या- 12/2016/ए-1-727/दस-2016-10(38)/2014 दिनांक 23 अगस्त, 2016 के प्रस्तर 3(vii) में दी गयी व्यवस्थानुसार ऐसे फेल्ड ट्रांजैक्शन्स (Failed Transactions)के सापेक्ष दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक भुगतान किया जा सकता है। इसके लिये SNA-SPARSH की वर्तमान प्रक्रिया को उक्त तिथि तक यथावत बनाये रखा जाना आवश्यक है।

3- यह भी अवगत कराना है कि प्रस्तर-1 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 के अनुसार SNA-SPARSH मॉडयूल के संशोधन का कार्य अंतिम चरणों में है, तथा माह मई, 2026 से नवीन मॉडयूल क्रियान्वित किया जायेगा।

4- अतः उपरोक्त के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि SNA-SPARSH की वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया को दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक यथावत बनाये रखा जाये तथा जनपदीय कोषागारों के माध्यम से बिल प्रस्तुत करने की प्रक्रिया दिनांक 1 मई, 2026 से लागू की जाये। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना है कि यदि इस मध्य किसी केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु Mother Sanction केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत की जाती है तो वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार लिमिट आवंटन एवं भुगतान की कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे प्रकरणों में दिनांक 1 मई, 2026 को अवशेष लिमिट आवंटन Reverse कर SNA स्तर से पुनः नये मॉडयूल के माध्यम से लिमिट आवंटन कर बिल जनरेशन की कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीय

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in

पत्र सं0-7/2026/बी-1-1022/दस-2026, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद् उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. उपमहाप्रबंन्धक क्षेत्रीय कार्यालय आर0बी0आई0, कानपुर।
5. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, 1018-जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से कि समस्त कोषागारों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी व्यवसाय विभाग, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोती महल मार्ग, लखनऊ-226001,
7. क्षेत्रीय महाप्रन्धक, इलाहावाद बैंक, क्षेत्र महाप्रबन्धक सचिवालय, नया भवन प्रथम तल, हजरतगंज, लखनऊ-226001.
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।